

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ****लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4451 वर्ष 2026**

सुधाकर चौबे

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अवधेश मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पुलिस थाना - आलापुर, जिला - अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 0183 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 137(2), 87 भा.न्या.सं में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 28.8.2025 से जेल में है। उनका आगे यह तर्क है कि विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह प्रार्थी के साथ गुजरात और नेपाल गई थी और उसके बाद वह वापस आ गई तथा प्रार्थी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी प्रार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। उनका आगे यह भी तर्क है कि प्रार्थी विवेचना में सहयोग करने के लिए तैयार है और निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है। उनका आगे यह तर्क है कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, प्रार्थी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु उन्होंने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि विवेचना के दौरान दर्ज किए गए पीड़िता के बयान में उसके द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा यह मत है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. प्रार्थी - **सुधाकर चौबे** - को उपरोक्त अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. प्रार्थी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके प्रति वह आरोपी है, या संदिग्ध है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- ii. प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- iii. प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- iv. प्रार्थी प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं/269 भा.न्या.सं के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v. यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं/84 भा.न्या.सं, के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

vi. प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) प्रकरण के प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।